न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)
पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 11/2018

उनवान

(1) शान्तिलाल पिता श्री धुलजी कलाल, जाति कलाल, निवासी आसन, तहसील गढी।
(2) हरिश पिता श्री धुलजी कलाल, जाति कलाल, निवासी आसन, तहसील गढी।

—: वादीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 28.01.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि गांव आसन, पटवार हल्का आसन, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि वादीगण को उनके मूल पुरूष चुन्नीलाल, विद्यालाल पिता श्री रादु, जाति कलाल व धुलजी, गोकुल पिता चोखा, जाति कलाल के खाता संख्या 75 के सर्वे नम्बर 587, रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा संवत् 2031 से 2034 में दर्ज रेकार्ड थी, जिसमें जरिये नामान्तरण संख्या 447 दिनांक 14.07.1978 10 बिस्वा भूमि रोड मैं चली गयी, जिस कारण जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 में खाता संख्या 103 में उक्त सर्वे नम्बर की भूमि का नया सर्वे नम्बर 587/1, रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा दर्ज रेकार्ड हुई। उक्त खाते की कृषि भूमि आपसी सहमति से दिनांक 29.06.1989 राजस्व केम्प भीमपुर में जरिये नामान्तरण संख्या 17 दिनांक 29.06.1989 को नियमानुसार बंटवारा कर दिया गया, जिसमें संवत् 2034 से 2037 में खाता संख्या 103 के सर्वे नम्बर 587/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वादीगण के पिता व पत्नी स्व. धुलजी पिता चौखा कलाल के हिस्से में आई। उक्त 10 बिस्वा भूमि रास्ते में जाने के कारण नया सर्वे नम्बर 587/1, रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बना और सेटलमेन्ट के दौरान उक्त सर्वे नम्बर 587/1 के दो सर्वे नम्बर बने जिसका नया सर्वे नम्बर 1864 रकबा 0.10 हैक्टेयर व सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 है. बना एवं पुराने कुल सर्वे नम्बर 587 के बीच में रास्ता निकल जाने से उक्त कुल सर्वे नम्बर 587 के दो भाग हो गये, जिसमें एक पूर्वी भाग बना तथा दुसरा पश्चिमी भाग बना एवं 0.10 बिस्वा भूमि रास्ते में चली गयी एवं शेष भूमि 0.19 है. भूमि बचती है, जिसे सर्वे नम्बर 1864 रकबा 0.11 हैक्टेयर व सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 हैक्टेयर बनी है एवं उक्त दोनो सर्वे नम्बर वादीगण के पिता के खाते की भूमि सर्वे नम्बर 587/1 भूमि का एक भाग है, जिसके दो नये सर्वे नम्बर बने है तथा शेष भूमि बीच में रास्ता निकल जाने से चली गयी है। उक्त दोनो सर्वे नम्बर 1864 व 3537 पर वादीगण काबिज होकर अपने पिता के समय से काश्त करते चले आ रहे है एवं सर्वे नम्बर 3537 में वादीगण का मकान व बाडा बना हुआ है और जमाबन्दी संवत् 2044 में सर्वे नम्बर 3537 को सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियों की त्रुटि के कारण रास्ता दर्ज कर दिया गया है। जबकि नक्षा ट्रेस में स्पष्ट रूप से रास्ते के अलावा उक्त सर्वे नम्बर दर्शाया है जो सही है एवं उक्त सर्वे नम्बर पर वादीगण का कब्जा है और उक्त सर्वे नम्बर रोड छोडकर पूर्व दिशा में स्थित है, जहां वादीगण का मकान व बाडा बना हुआ है एवं उक्त दोनो सर्वे नम्बरो के बीच में नियमानुसार 0.10 बिस्वा का रास्ता मौजुद है। इस प्रकार सेटलमेन्ट की त्रुटि के कारण सेहवन से जमाबन्दी में सर्वे नम्बर 3537 को त्रुटिपूर्ण तरीके से और गलत तरीके से रास्ता दर्ज कर लिया गया है जो गलत है एवं जमाबन्दी में भी रास्ते के रूप में गलत तरीके से दर्ज कर लिया गया है, जिस कारण राजस्व रेकार्ड में हाल जमाबन्दी में सही प्रविष्टि करने हेतु यह वाद—पत्र आप न्यायालय में पेश है। वादीगण को उक्त तथ्यों की जानकारी अभी एक माह पूर्व जब वादीगण नें अपने खाते की उक्त भूमि के विकास हेतु ऋ[illegible] हल्का पटवारी से उक्त सर्वे नम्बर की राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की जो उसमें हल्का [illegible]री[illegible] बताया कि तुम्हारा उक्त सर्वे नम्बर नक्शे में तो सही पैमुदगी है, परन्तु ज[illegible] दर्ज [illegible] लिया गया है, जिससे तुम्हे लोन नहीं मिलेगा और तुम्हे सक्षम न्यायालय में शुद्धि करने के लिये तथा तुम्हारे नाम द[illegible] के लिये सक्षम न्यायालय में दावा करना पडेगा, इसलिए वादीग[illegible] नकल प्राप्त कर आप [illegible] में यह वाद—पत्र पेश किया है। वादीगण का उक्त खाते की भूमि में आधिपत्य व स्वामित्व व स्वत्व की भूमि है, जिससे सेहवन से सेटलमेन्ट कर्मचारियों की त्रुटि के कारण श्रीसरकार रास्ता दर्ज कर लिया गया है, इसलिए उसे हटाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने हेतु यह वाद—पत्र आप

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:48:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय में पेश है।यदि उक्त आशय की त्रुटि को सही नहीं किया गया तो वादीगण अपने सम्पत्ति के संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेंगे और उन्हें ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकेगा, इसलिये वादीगण को उक्त सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08, वाके ग्राम आसन, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा की जमाबन्दी में स्थित है, जिसका वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने हेतु यह वाद–पत्र पेश है। वादीगण का वाद हेतुक सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण की उक्त खाते की पैतृक कृषि भूमि जिसका पुराना सर्वे नम्बर 587/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बने नये सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 हैक्टेयर गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में और जमाबन्दी में रास्ता दर्ज रेकार्ड करने से और वादीगण को इस बात की जानकारी आज से 1 माह पूर्व हल्का पटवारी से प्राप्त होने से एवं राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त करने से वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि ग्राम आसन की जमाबन्दी वर्ष 2031–2034 में खाता संख्या 75 के सर्वे नम्बर 587 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार श्री चुन्नीलाल, विद्यालाल पिता राघुलाल व धुलजी, गोकल पिता चौखा जाति कलाल निवासी आसन के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है। वक्त भीमपुर–परतापुर वाया सरेड़ीबड़ी रोड़ का निर्माण किया गया तब खातेदारी भूमि में से 10 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 14.7.1978 से सर्वे नम्बर 587 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि रास्ता श्रीसरकार दर्ज कर शेष खातेदारी भूमि को सर्वे नम्बर 587/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 29.6.1989 से सामलाती भूमि का बंटवारा होकर सर्वे नम्बर 587/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि श्री धुलजी पिता चौखा जाति कलाल निवासी आसन के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। वक्त सेटलमेन्ट सर्वे नम्बर 587 रकबा 10 बिस्वा का नया सर्वे नम्बर 587/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा के दो नये नम्बर बनाये गये जो रोड़ के पूर्व व पश्चिम दिशा में दर्ज किये जो– पूर्व का नम्बर 3537 रकबा 0.08 हे0 किस्म–रास्ता श्रीसरकार दर्ज किया व दूसरा नम्बर पश्चिम दिशा का 1864 रकबा 0.11 हे0 भूमि खातेदार श्री धुलजी पिता चौखा जाति कलाल के नाम दर्ज किया गया है। सर्वे नम्बर 1864 रकबा 0.11 हे0 भूमि पर खातेदार का कब्जा होकर काश्त करता चला आ रहा है। सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 हे0 किस्म–रास्ता भूमि पर खातेदार का लगभग 50 वर्ष पूर्व से मकान बना हुआ है। व वर्तमान में वादी श्री शान्तिलाल व हरिश के पक्के मकानात् बने हुऐ है। राजस्व रेकार्ड व मौका जांच भू–अभि0निरी0 वृत्त भीमपुर की रिपोर्ट अनुसार सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 हे0 भूमि जो पुराने सर्वे नम्बर 587/1 का ही पार्ट है। ग्राम आसन के आराजी नम्बर 3537 रकबा 0.08 हे0 श्रीसरकार भूमि को वादी श्री शान्तिलाल, हरिश पिता धुलजी कलाल निवासी आसन के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना उचित बताया गया।

प्रकरण में वादी की साक्ष्य के रूप में श्री शान्तिलाल का शपथ–पत्र पेश होकर वादी अभिभाषक द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवायें गये।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, मौजा आसन की नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत 2031 से 2034, सेटलमेंन्ट नक्षा सन् 1949, नामान्तरकरण संख्या 447, जमाबन्दी खेवट खतोनी संवत 2034 से 2037, नामान्तरकरण संख्या 17, नक्षा किश्तवार सन् 1982–83, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी संवत 2044, जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा वादी की ओर से प्रस्तुत नक्षा किश्तवार का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के आस–पास के सर्वे नम्बर 3545, 3532 आदि भी किस्म रास्तें के रूप में दर्ज नही है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का आसन के मौजा आसन की श्रीसरकार सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 हे0 पूर्वानुसार किस्म–भू.गो. वादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:48:01 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का आसन के मौजा आसन की श्रीसरकार सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 हे0 पूर्वानुसार किस्म–भू.गो. वादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 11/2018

उनवान

(1) शान्तिलाल पिता श्री धुलजी कलाल, जाति कलाल, निवासी आसन, तहसील गढी।

(2) हरिश पिता श्री धुलजी कलाल, जाति कलाल, निवासी आसन, तहसील गढी।

—: वादीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 28.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का आसन के मौजा आसन की श्रीसरकार सर्वे नम्बर 3537 रकबा 0.08 हे0 पूर्वानुसार किस्म—भू.गो. वादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 28.01.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:48:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner